प्रेषक,

संख्या: आ०स०19/43—2—2008-15

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2

लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई 2008

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारियों (Appellate Authority) हेतु मार्गदर्शिका।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है।

2— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसी भी लोक प्राधिकरण (Public Authority) के जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सूचना मांगने वाले व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण सूचना प्रदान करे। यह सम्भव है कि जन सूचना अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य न करे अथवा आवेदनकर्ता उसके निर्णय से संतुष्ट न हो। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये अधिनियम में दो अपीलों का प्रावधान किया गया है। प्रथम अपील लोक प्राधिकरण (Public Authority) के ही एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष और दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष होती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलों का निपटान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये करे। भारत सरकार द्वारा अपीलीय अधिकारियों हेतु एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका की एक प्रति

आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप कृपया अपने विभाग एवं अपने विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों / संस्थाओं/ बोर्ड / आयोग आदि, के लोक प्राधिकरणों में नामित अपीलीय अधिकारियों को मार्ग दर्शिका की एक–एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यह मार्गदर्शिका उन्हें अपने कार्यो को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध हो सके।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।